चित्रकूट-पुलिस

(1). आज दिनाँक 24.08.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद में चल रही उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र 1.जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य राजकीय दिव्यांग विश्वविद्यालय 2. सेठ राधा कृष्ण पोद्दार इण्टर कॉलेज सीतापुर 3.गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेडी पुलिया 4. गंगा प्रसाद इण्टर कॉलेज 5. चित्रकूट इण्टर कॉलेज 6. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात अधि0/कर्मचारीगण को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किय़ा गया।
भ्रमण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव, पुलिस केन्द्र प्रभारी व पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनाँक 24.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में उ0नि0 एलआईयू श्री शिव सागर तिवारी के नेतृत्व में डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 23.08.2024 से प्रारम्भ आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण, सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत जनपद के सभी 06 परीक्षा केंद्रों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान परीक्षा केन्द्र सीआईसी, जीजीआईसी, गंगा प्रसाद इण्टर कालेज, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया, जगदुरु दिव्यांग राज्य महाविद्यालय सीतापुर, सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज सीतापुर को स्थलीय भ्रमण कर सघन चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 24.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन कोतवाली कर्वी में किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये । भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।
समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचरागीण उपस्थित रहे।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में

महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(5). आज दिनाँक 24.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 27.01.2024 को एक व्यक्ति द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिक पुत्री को वीरेन्द्र आरख पुत्र मुन्नालाल निवासी भैरमपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट बहलाफुसला कर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 34/2024 धारा 363,366 भादवि0 बनाम वीरेन्द्र आरख उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह को पीड़िता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 23.08.2024 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीड़िता को बाल संरक्षण इकाई के समक्ष पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय में बयान कराये गये। इसी क्रम में आज दिनाँक 24.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वीरेन्द्र आरख उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह चौकी प्रभारी खण्डेहा

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

3.महिला आरक्षी पल्लवी

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने 24 घण्टे के अन्दर बकरी चोरी की घटना का अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को चोरी की 01 बकरी व 02 बकरी के बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 23.08.2024 श्री बरातीलाल पुत्र टेकई निवासी अटलनगर थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उसके घर से अज्ञात चोर ने उसकी 01 बकरी व 02 बकरी के बच्चा चोरी कर लिए है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 251/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ ने घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री शाहबाज खां को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री शाहबाज खां एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 24.08.2024 को जमुना जी रोड से आगे ब्रिज के आगे बम बाबा तिराहे से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रामलखन पुत्र मेढ़ीलाल निवासी चक गुलाम आलम थाना कौशांबी जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 बकरी व 02 बकरी के बच्चे बरामद हुये। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बकरियां बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रामलखन पुत्र मेढ़ीलाल निवासी चक गुलाम आलम थाना कौशांबी जनपद कौशांबी

बरामदगीः-

चोरी की 01 अदद बकरी व 02 अदद बकरी के बच्चे

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शाहबाज खां थाना मऊ

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में थाना बहिलपुरवा पुलिस ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.08.2024 को अनुसूचित जाति के वादी द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी की उनकी नाबालिक पुत्री को शिब्बू उर्फ शिवम द्विवेदी अंकित द्विवेदी पुत्र अशोक द्विवेदी निवासी ग्राम सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने घर के अन्दर ले जाकर दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 50/2024 धारा 64(1),127(2) बीएनएस व 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम शिब्बू उर्फ शिवम द्विवेदी उर्फ अंकित द्विवेदी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष बहिलपुरवा ने मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री अजहर जमाल का निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनके हमराही द्वारा आज दिनाँक 24.08.2024 को अभियुक्त शिब्बू उर्फ शिवम द्विवेदी उर्फ अंकित द्विवेदी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

शिब्बू उर्फ शिवम द्विवेदी उर्फ अंकित द्विवेदी पुत्र अशोक द्विवेदी निवासी ग्राम सेमरियाचरण दासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना बहिलपुरवा

2.आरक्षी जितेंद्र मौर्या

(9). आज दिनाँक-24.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय,महिला थाना,अपराध शाखा एवं यातायात कार्यालय निरीक्षण किया गया । महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय के छतों पर जमें पानी की साफ-सफाई, थाना परिसर की साफ-सफाई, महिला थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव व अद्यवधिक करने एवं शौचालयों को सही तरीके से बनवाने हेतु थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सरिता सरोज को आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा यातायात कार्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रभारी यातायात को नगर पालिका से सम्पर्क कर सभी परिसरों में साफ – सफाई कराने हेतु बताया गया।

निरीक्षण के दौरान महिला थाना थानाध्यक्ष श्रीमती सरिता सरोज, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला एवं पीआरओं श्री प्रवीण सिंह उपस्थित रहें।